

7. किसी भी विवाद में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
8. अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति हेतु रिक्तियों तथा सम्बन्धित नियमों एवं प्रावधानों में परिवर्तन करने का अधिकार ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के पास सुरक्षित है। अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति हेतु बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति, राज्य सरकार के परिपत्रों तथा माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा।
9. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित इस लिखित परीक्षा-2007 की मेधासूची एवं सम्बन्धित सूचनायें ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार की Website <http://www.rdd.bih.nic.in> पर भी उपलब्ध है।
10. प्रेस में मुद्रण अथवा टाईपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

राम ब्रह्म चौधरी
संयुक्त विकास आयुक्त